



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055



वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि के लिए
औषधीय / पुष्प / सुगंधित / वानिकी / घांस के
बीज, कंद, बल्व, पौधे
के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 27.07.2026

अपरान्ह 3.00 तक

उप प्रबंधक (उद्यान)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎ 0755. 2551652 ए 2551756 थं . 0755 2557305 मउंपस . उचंहतवीवइचस / हउंपसण्ववउ
मइंपजम रू णउचेजंजमंहतवण्दपबण्पद . बछ छवण न01119डच969ैळ001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2026-27/928

भोपाल, दिनांक 06.07.2026

अल्पकालीन रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि के लिये निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
1	औषधी / पुष्प / सुगंधित / वानिकी / घांस रोपण सामग्री (बीज, कंद, बल्ब, पौधे, आदि)	रु 11,800 / -	रु 1,00,000 / -

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट अहर्ताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/निर्माता/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 27.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाइट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है, दस्तावेज www.mptenders.gov.in से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

उप प्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के
बीज, कंद, बल्व, तथा नर्सरी फल पौध (ग्राफटेड / बीजू) पौधे एवं हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ट 1	5
2	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1	5
3	ऑफरकर्ता को निर्देश	परिशिष्ट 1	5
4	आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण	परिशिष्ट 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	7-12
6	तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है	परिशिष्ट 3	13
7	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं पौधों के मापदण्ड	परिशिष्ट 4	14-16
8	ऑफरकर्ता की अहर्ता के संबंध में	परिशिष्ट 5	17
9	ऑफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप (राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ट 6 एवं 6 (अ)	18-19
10	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)	परिशिष्ट 7	20
11	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 8	21
12	वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है)	परिशिष्ट 9	22-25
13	आफर प्रस्तुत करने के लिये अधिकार पत्र	परिशिष्ट 10	26



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:-

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता नर्सरी धारक	उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो जिनकी स्वयं की नर्सरी हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम में जमा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तथा अनुबंध अवधि में निगम के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है
क्षेत्रीय प्रबंधक	निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक
जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक	निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक
वेबसाइट	www.mptenders.gov.in
निगम की वेबसाइट	mpagro.org



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 13.07.2026 को सायं 3 बजे तक ई-मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर दिनांक 13.07.2026 को आयोजित प्रिबिड मितिग में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक 13.07.2026 को सायं 5.00 बजे www.mptenders.gov.in एवं <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा।

दिनांक 13.07.2026 को प्रिबिड बैठक के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदान सामग्री का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं “निर्धारित समय सीमा” में करना आवश्यक होगा।

3. आफरकर्ता को निर्देश :

- 3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ही ऑफर को वेबसाइट पर अपलोड करें। निगम द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- 3.2 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.ई जी अथवा पी.डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3.3 वेबसाइट से अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों।
- 3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
- 3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।

3.8 वेण्डर द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर कय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोट:- ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का कोई विवाद, वाद, न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।

4. आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य ऋँज सहित	राशि रू 10000 + 18% GST 1800=11800
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 27.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	200000/- (दो लाख मात्र)
ऑनलाइन निविदा वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 27.07.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक
प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 13.07.2026 अपरान्ह 3.00 बजे एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में विभागाध्यक्ष (उद्यान) के कक्ष में होगी ।
आरसीओ में सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 13.07.2026 सायं 3.00 बजे
प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 13.07.2026 को अपरान्ह 5.00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकि निविदा के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा)	दिनांक 28.07.2026 अपरान्ह 3.00 बजे तक
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org एवं www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

नोट- उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की **website www.mpagro.org तथा mptenders.gov.in** पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में वेबसाईट पर समय-समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधनों/सूचनाओं से अवगत हों।



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 2

ऑफर की सामान्य शर्तें

वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कांट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की अर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 5** अनुसार रहेंगी।

2. आर.सी.ओ प्रपत्र का कय- रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नहीं) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

3. प्री-बिड मीटिंग- रेट कांट्रेक्ट आफर के अनुसार उल्लेखित तिथि में निगम मुख्यालय में विभागाध्यक्ष (उद्यान) के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरांत रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगी, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली-भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।

4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(अ) वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

(ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

(स) वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

(द) सशर्त रेट कांट्रेक्ट- निगम द्वारा रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा।

(इ) स्टार्टअप के लिए प्रावधान-

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(फ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान-

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ग) **सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान-**

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में छूट दी जायेगी।

भण्डार क्रय नियम 2015 की कंडिका क्रमांक 25.3 के अनुसार RCO फार्म की फीस में छूट दी जायेगी।
पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एवं दर वैधता

- 5.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 9 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, निगम की क्रय दर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की शर्त क्रमांक 21 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- 5.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

6. सैंपल प्रस्तुत किये जाना :

सैंपल प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सैंपल लिये जा सकेगे।

7. संकल्प धन राशि (EMD)

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रु. 2,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।

8. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

9. धरोहर राशि :

- (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
- (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- (स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
 - (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर।
 - (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना

1. नियत तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम उपर्युक्त वर्णित (परिशिष्ट क्रं. 1) तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।
2. आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर किया जावेगा।
3. परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
4. ऑफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।
5. रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

12. अनुबंध का निष्पादन—

- (अ) जिन ऑफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन ऑफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 6 एवं 6 (अ)) के अनुसार राशि रुपये 1000/— के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
- (ब) आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।
- (स) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- (द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात ऑफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।
- (इ) अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंगे।

13. दरें स्वीकार की जाना :

- 12.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 12.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर दें। निगम को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- 12.3 निगम द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर से अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा में दर आफर करने वाले योग्य पाये गये आफरकर्ताओं को निर्धारित दरों का प्रतिप्रस्ताव दिया जावेगा। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. प्रदाय की प्रक्रिया –

- (अ) परिशिष्ट क्रं.-4 में वर्णित अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी किये जाएंगे। प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय, प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- (ब) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य क्रेता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता अर्थात् अंतिम उपभोक्ता को हुये नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जावेगी।
15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)

- (अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है।
- (ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- (स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क्रं.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 1 से 5 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और बंधनकारी रहेगा।

17. आदेश की प्रक्रिया :

- (अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट क्रमांक 4 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम निगम के चालान पर की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- (स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा। निगम द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री गंतव्य स्थल पर पहुंचानी होगी।
- (द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी।

18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड, पैकिंग, संख्या, मात्रा एवं समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

(अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

19. भुगतान :

निगम द्वारा “भुगतान पश्चात् भुगतान” की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय /निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) के आधार पर प्राप्त होने एवं देयक की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) प्राप्त होने पर किया जावेगा ।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं होती है एवं निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा ।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 5 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेंगे।
25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के विभागाध्यक्ष (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
26. यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आरबीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
27. निगम के प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रैक्ट आफर के अनुबंध निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रबन्धक (उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत)
2	बीजों को आयात संबंधी वैध इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फायटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाना आवश्यक होगी। (आयातीत बीज होने की दशा में आयात से संबंधित फाईटोसेनेटरी सर्टिफिकेट एवं आफर की गई सामग्री के संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली (ICAR) द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अनुशंसित सामग्रियों को ही स्वीकार किया जाएगा।)
3	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर PAN
4	विक्रय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
5	आरसीओ के अनुसार सभी निर्धारित शुल्क (प्रपत्र शुल्क, ईएमडी) को ऑनलाईन जमा करना
6	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 7 के अनुसार राशि रु 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
7	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र और उसके परिशिष्ट के सभी पृष्ठों अपलोड किया जाना है।
8	वितरक होने की दशा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र की मूल प्रति (original copy) (परिशिष्ट क्रमांक 10)
9	वितरक होने की दशा में बीज विक्रय लायसेन्स की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो
10	स्टार्टअप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला स्वामित्व वाले उद्यमियों को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11	प्रमाणित बीजों का आफर दिये जाने की स्थिति में उत्पादक का बीज प्रमाणिकरण संस्था में वैध पंजीयन व जिस प्रमाणित बीज हेतु आफर प्रस्तुत किया जावेगा उसके अंतिम बीज प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड की जाना है

आरसीओ की आवश्यकता अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। वांछित दस्तावेज के अभाव में निगम द्वारा आफर को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसके लिये आफरकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2. वित्तीय आफर – वित्तीय आफर वेबसाईट पर ही ऑनलाइन अपलोड किए जाना है। इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है।

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी

1. इस आर सी ओ के अन्तर्गत औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के पौध, कन्द एवं बल्ब के दर आमंत्रित किये गये हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र०	औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री	विवरण
1.	पुष्प (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	ग्लार्डिया, ग्लेडूलस, कारनेशन, जरबेरा, क्राइसेनथेमम, रजनीगंधा, गुलाब देसी (ग्राफटेड), एस्टर, गेंदा (ओ.पी.)/हायब्रिड, लीलि, चंपा, एकजोरा, बोगनबेलिया कनेर डेजी ट्यूबरोज, जैसमिन, लोटस, निरियम, हिबीकस, बारलेरिया, इत्यादि।
2.	औषधीय (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	अश्वगंधा, अजवाइन, अकरकरा, अर्जुन, अशोक, आंवला (बीज), एलोवेरा बच, बैल, बहेड़ा, ग्वारपाठा, हर्षा, इसबगोल, मेंथा, केवकंद, कलिहारी, कचनार, केंवाच, सफेद मूसली, महुआ, रतनजोत, सतावर, सनाय, सौंफ, तुलसी, कालमेघ, चन्द्रसूर, वज्रदंती, सर्पगंधा, स्टीविया, वनिला, कोलियस, काली हल्दी, आमी हल्दी, सतरूपा हल्दी, सर्पगंधा, तुलसी, गूगल, सूरन (जिमीकंद) कालीमुसली केसर, मुलेठी, अतीस, जठामंसी, ब्रही, पिपली, चिरायता, इत्यादि।
3.	सुगंधित (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	सिट्रेनोला, चमेली, रोजमेरी, लेमनग्रास, खस, पामारोजा, जामारोजा, मुश्कदाना, शिकाकाई, पचोली इत्यादि।
4.	वानिकी / घांस (बीज/कंद/बल्ब/पौधे)	बबूल (देसी/आस्ट्रेलियन/इजराईली), सुबबूल अगस्ती, अगैव, बांस, गुलमोहर, सिरस, कंदम्ब, लुर्सन, इमली, यूकेलिप्टस, नीम, रामझाड़ू, प्रोसेफिस, सागौन, करंज, खमार, सुडान, ग्रास, दीनानाथ घांस, एम.पी.चरी, मक्का (अफ्रीकन टाल) सनहेम्प, सागौन, (रुटसूट/पौधे), केलाकंद, शीशम, पीपल, अरंडी जंगली, खैर सफेद/देशी, बरसीम, नेपीयर ग्रास, स्टाइलो हमाटा, ढेंचा, सेसेवानिया इत्यादि।

2. औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी रोपण सामग्री के बीज, एवं पौध/कन्द के वांछित मापदण्ड निम्नानुसार है :

1.बीज

क्र.	नाम	मापदंड	न्यूनतम अंकुरण
1	ग्लार्डिया	बीज साफ एवं सूखा हो।	80 %
2	ग्लेडूलस	बल्ब से 10 12, से.मी. डार्मेन्सी ब्रेक हो। काला न हो। 30-50 ग्राम का होना चाहिये।	90 %
3	मेरीगोल्ड ओ.पी.संकर	बीज साफ हो।	80 %
4	गुलदावदी(क्राइसेमथेमम)	बीज साफ हो।	80 %
5	इसबगोल	बीज गुजरात साफ एवं सूखा हो।	80 %
6	अश्वगंधा	बीज साफ एवं सूखा हो।	80 %
7	सनाय	बीज साफ सूखा हो।	90 %

8	अकरकरा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	90 %
10	वज्रदंती	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
11	बहेडा	बीज सूखा एवं साफ हो ।	80 %
12	रतनजोत	बीज साफ सूखा हो	90 %
13	अजवाईन	बीज खुरासानी	80 %
14	कौंच (केवांच)	बीज बिना रोये वाली जाति का हो । बीज सूखा एवं साफ हो	90 %
15	पामारोजा	बीज साफ एवं सूखा हो ।	60 %
16	मुश्कदाना	बीज 1 साल से अधिक पुराना न हो ।	80 %
17	बबूल देशी	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
18	बबूल आस्ट्रेलियन	बीज साफ एवं स्वच्छ हो ।	50 %
19	लूसर्न	बीज साफ हो ।	80 %
20	बबूल इजरायली	बीज साफ हो ।	40 %
21	काला सिरिस	बीज साफ हो ।	75 %
22	कदम्ब	बीज साफ हो ।	50 %
23	कचनार	बीज साफ हो ।	75 %
24	गुलमोहर	बीज साफ हो ।	85 %
25	इमली	बीज साफ हो ।	60 %
26	पेन्डूला अशोक	बीज साफ हो ।	40 %
27	नीम	बीज साफ हो ।	80 %
28	कारनेसन	बीज साफ हो ।	80 %
29	एस्टर	बीज साफ हो ।	80 %
30	महुआ	बीज साफ हो ।	80 %
31	तुलसी	बीज साफ हो ।	80 %
32	अर्जुन	बीज साफ हो ।	80 %
33	शिकाकाई	बीज साफ हो ।	80 %
34	रोसाघास	बीज साफ हो ।	80 %
35	सनहेम्प	बीज साफ हो ।	80 %
36	स्टायलो हमाटा	बीज साफ हो ।	40 %
37	बरसीम ,जन्द्ध	बीज साफ हो ।	80 %
38	बरसीम प्रमाणित	बीज साफ हो ।	80 %
39	सेसेवानिया (ढेंचा)	बीज साफ हो ।	60 %
40	सर्पगंधा	बीज साफ हो ।	50 %
41	तुलसी	बीज साफ हो ।	80 %

2. पौध / कंद

क्र.	नाम	मापदंड
1	बच	राईजोम हरा हो । लंबाई लगभग 5 से.मी, कम से कम एक आंख होना चाहिए
2	मूसली सफेद	कंद लगभग 5—10 ग्राम की फिंगर के साथ क्राउन का कुछ हिस्सा आवश्यक है । कंद गीला हो ।
3	काली मूसली	कंद का वजन लगभग 20 ग्राम हो । जिसमें एक आंख अवश्य हो ।
4	मेंथा	सर्कर्स हरा हो, फंगस रहित हो काला न हो, अनुशसित
5	कलिहारी	कंद का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम । कंद हरा हो ।
6	केओकंद	कंद जिसमें 2 कलिया (आंख) कम से कम हो ।
7	छोटा हर्षा	पौधे की ऊंचाई कम से कम 1फुट हो । आयु लगभग 1 वर्ष । पौधे में लगभग 3 पत्तिया हो । पौधा जीवित हो । बीज साफ एवं सूखा हो ।
8	कचनार	पौधा, ऊंचाई लगभग 1 फुट हो । उम्र लगभग 1 वर्ष हो ।

9	गुलाब संकर (बडेड)	पौधा की ऊचाई कम से कम लगभग 1 से 1 1/2 फुट हो, मोटाई लगभग 5 एम.एम.हो बडेड हो, पालीबेग 6 ग 8 हो, पौधा जीवित हो
10	लेमनग्रास	स्लिप के साथ जड़ का कुछ हिस्सा भी होना चाहिए मूल पौधा 1 साल पुराना हो ।
11	जावा सिन्ट्रोनेला	स्लिप, 1 वर्ष पुरानी जुट्टे का हो ।
12	रामझाडु	स्लिप लगभग 3 से.मी. लंबी हो ।
13	बांस सादा	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
14	बांस कटंगा / गोल्डन	राईजोम अंगुठे की मोटाई का न्यूनतम 15 से.मी.लम्बा एवं 3 जिवित आंख के साथ हो ।
15	जरबेरा सिंगल	पौधे ऊचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 8-10 पत्तिया हो ।
16	जरबेरा डबल	पौधे ऊचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 8-10 पत्तिया हो ।
17	ट्यूबरोज डबल/सिंगल	कंद लगभग 1" व्यास व 2" लंबा हो । फंगस न हो । कंद गीला हो
18	गुलाब लोकल हैदराबादी	पौध लगभग 1 से 1 1/2 फुट ऊंचा हो । पौधा जीवित हो । ब्रांचेस लगभग 2 से 3 हो ।
19	लिली	बल्ब 10 से 12 से.मी. हो । डार्मेन्सी ब्रेक हो ।
20	खस	स्लिप जड़ सहित हो ।
21	अगैव	सर्कस फंगस रहित हो तथा बदरंग न हो ।
22	जास्मिन (मोगरा)	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उँचाई का हो ।
23	यूकेलिप्टस	पौध स्वस्थ हो तथा 1 फुट उँचाई का हो ।
24	ग्वारपाठा	पौधे ऊचाई 4"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 4-5 पत्तिया हो ।
25	केलाकंद	न्यूनतम 500 ग्रा. बजन का ताजा कंद होना चाहिये ।
26	स्टीविया पौधा	पौधा पैकेट एवं बण्डल मे हो एवं न्यूनतम 6 माह का हो ।
27	कोलियस	पौधे की कटिंग 6" । कटिंग हरी भरी होना चाहिए।
28	काली हल्दी	कंद साफ हो एवं कटिंग करने पर बीज का आकार काला एवं नीला दिखे
29	आमी हल्दी	कंद साफ हो एवं कटिंग करने पर कच्चे आम की तरह खुशबू आना चाहिए
30	सतरूपा हल्दी	कंद साफ हो एवं दिखने में गहरा पीला रंग हो
31	सतावर	पौधे ऊचाई 5"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 3-4 रुट हों एवं 4-5 पत्तियां हों ।
32	नेपीयर ग्रास	कटिंग हो कम से कम दो आंख हो
33	सर्पगंधा	पौधे ऊचाई 5"-6" । पौधा जीवित हो । लगभग 6"रुट हों एवं 4-5 पत्तियां हों ।
34	गूगल	पौधे ऊचाई 1.5-2 फिट (पौलीथिन) । पौधा जीवित हो । लगभग 6"रुट हों एवं 5-10 पत्तियां हों ।
35	सूरन (जिमीकंद)	कंद 200 ग्राम का होना चाहिए।
36	कनेर पौधा	पौध लगभग 1 से 1 1/2 फुट ऊंचा हो । पौधा जीवित हो । ब्रांचेस लगभग 2 से 3 हो

सभी पौधें न्यूनतम 6"x4" की पाली बेग में होना आवश्यक है।

3. **आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य** – राशि रुपये 11800.00 (रुपए ग्यारह हजार आठ सो मात्र) जी एस टी सहित
4. **संकल्प धन राशि** – राशि रुपए 1,00,000.00 (रुपए एक लाख मात्र) राशि आन लाईन जमा करना है
5. **आदेश जारी करने के लिए अधिकृत** – क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय

ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में

1. औषधीय / पुष्प / वानिकी / सुगंधित / घांस फसलों की विभिन्न रोपण सामग्री के लिये

बीज व अन्य रोपण सामग्री के उत्पादक / विक्रेता जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :-

1. निविदाकार के पास मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस होना आवश्यक है।
2. आयकर विभाग में पंजीयन GSTN होना आवश्यक है।
3. हायब्रिड पुष्प बीज के आफर देने की स्थिती में उत्पादक कंपनी की आर एंड डी यूनिट भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली में पंजीयन होना आवश्यक है।
4. हायब्रिड पुष्प बीजों के वितरक के रूप में आफर दिये जाने की स्थिती में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र की मूल प्रति (original copy) (परिशिष्ट क्रमांक 10) में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। वितरक के लायसेंस में बीज उत्पादक का नाम अंकित होना आवश्यक है।
5. आयतित पुष्प बीज / कंद होने की दशा में आयात से संबंधित फाईटोसेनेटरी सर्टिफिकेट एवं आफर की गई सामग्री के संबंध में मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली (ICAR) द्वारा मध्य प्रदेश के लिये अनुशंसा के संबंध में रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
6. बडेड गुलाब का आफर दिये जाने की स्थिती में पौधे जिस नर्सरी से क्रय कर प्रदाय किये जावेंगे का विवरण दिया जाना आवश्यक है जिससे आवश्यकता होने पर नर्सरी का निरीक्षण का कार्य कराया जा सके।
7. प्रमाणित बीजों का आफर दिये जाने की स्थिती में उत्पादक का बीज प्रमाणिकरण संस्था में वैध पंजीयन होना आवश्यक है, व जिस प्रमाणित बीज हेतु आफर प्रस्तुत किया जावेगा उसके अंतिम बीज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वितरक के रूप में आफर दिये जाने की स्थिती में रेट कान्ट्रेक्ट आफर में भाग लेने के लिये उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र की मूल प्रति (original copy) (परिशिष्ट क्रमांक 10) में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। वितरक के लायसेंस में बीज उत्पादक का नाम अंकित होना आवश्यक है।

नोट:-

ऑफरकर्ता को उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेजों को विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अपलोड करना होगा (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 के अनुसार)।

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर औषधीय / पुष्प / वानिकी / सुगंधित रोपण सामग्री प्रदाय हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) कर करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा जिन फल पौधों (ग्राफटेड एवं बीजू) के प्रदाय हेतु हमारी दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 10 पर उल्लेखित है को (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज / दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारीयां ।

यदि प्रदायक आरसीओ की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उपरोक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक

हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

- 1.
- 2.

औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी / घांस के बीज, कंद, बल्व, पौधे (रोपण सामग्री)

प्रदायक का नाम एवं पता

.....

फोन नम्बर

ई मेल

मोबाईल नं.

क्र०	बीज/कन्द/पौध का नाम	प्रजाति	प्रदाय दर रुपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर

एवं सील

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि के लिये निगम के माध्यम से औषधीय/पुष्प/सुगंधित/वानिकी के बीज, कंद, बल्व, पौधे एवं घास (रोपण सामग्री)के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्सद्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार के सामग्री के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड व नियम अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो निगम उस हानि की पूर्ति हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये/— एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये/— प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों एवं नियम को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदनुसार सभी शर्तों एवं नियमों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPN.LTD.
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL**

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	----- -----
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----
	PHONE NO. E Mail ID	Office : Mobile : E mail ID
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date
5	GST Registration number.	
6	Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Bank Name of the Branch IFSC Code Bank Account No
8	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
9	Full Name and Address of Nursery	
	Area of Nursery	
	Khasra No	
	Licence Number of Nursery and validity	

नोट- सुस्पष्टता के लिये जानकारी टाईप करके प्रस्तुत की जाये।

Signature of Offerer

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
वर्ष 2023-24 एवं आगे की अवधि के लिए
वित्तीय आफर का प्रारूप (FINANCIAL OFFER)

01. NAME OF THE OFFERER
 PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
FOR SEEDS									
1	GLARDIA SEED		1	KG					
2	MERIGOLD (O.P)		1	KG					
3	MERIGOLD HYBRID		1	KG					
4	MERIGOLD HYBRID		1	KG					
5	MERIGOLD HYBRID		1	KG					
6	MERIGOLD HYBRID		1						
7	GULDAVADI (CHRYSANTHAMUM)		1	KG					
8	ISBAGOL		1	KG					
9	ASHWAGANDHA		1	KG					
10	SANAY SEED		1	KG					
11	AKARKARA SEED		1	KG					

12	SATAWAR KAND		1	KG					
13	VAJRADANTI		1	KG					
14	BAHEDA		1	KG					
15	RATANJOT		1	KG					
16	AJWAIN		1	KG					
17	KONCH (KEWANCH)		1	KG					
18	PMAROJA SUCKERS		1	KG					
19	MUSKHDANA		1	KG					
20	BABOOL DESI		1	KG					
21	BABOOL AUSTRALIAN		1	KG					
22	LOORSAN		1	KG					
23	BABOOL ISRIALI		1	KG					
24	KALA SERIS		1	KG					
25	KADAMB SEEDS		1	KG					
26	KACHNAR SEED		1	KG					
27	GULMORH SEED		1	KG					
28	IMLI		1	KG					
29	PENDULA ASHOK		1	KG					
30	NEEM SEED		1	KG					
31	KARNESAN SEED		1	KG					
32	ASTER SEED		1	KG					
33	MAHUA SEED		1	KG					
34	TULSI SEED		1	KG					
35	TULSI SEED		1	KG					
36	ARJUN SEED		1	KG					
37	SHIKEKAI SEED		1	KG					
38	ROSAGRASS SUCKERS		1	KG					
39	SUNHEMP SEED		1	KG					
40	STYLO HAMATA		1	KG					

	SEED								
41	BARSEAM (TL) SEED		1	KG					
42	BARSEAM CERTIFIED		1	KG					
43	SESBANIA SEED		1	KG					
44	SARPGANDHA SEED		1	KG					

FOR PLANT AND BULBS									
45	BACH RIZOME		1	KG					
46	MUSLI WHITE RIZOME		1	KG					
47	MUSLI BLACK RIZOME		1	KG					
48	MENTHA RIZOME		1	KG					
49	KALIHARI RIZOME		1	NO					
50	KEOKAND RIZOME		1	NO					
51	CHOTA HARRA PLANT		1	NO					
52	KACHNAR PLANT		1	NO					
53	LEMONGRASS SUCKERS		1	KG					
54	JAVA CINTRONELLA SUCKERS		1	KG			0	0	INR Zero Only
55	RAMJHADU SLIP		1	NO					
56	BAMBOO SIMPLE		1	NO					
57	BAMBOO KATANGA		1	NO					
58	BAMBOO GOLDEN		1	NO					
59	JERBERA SINGLE PLANT		1	NO					
60	JERBERA DOUBLE PLANT		1	NO					
61	STEVIA PLANT (Bundle)		1	NO					
62	TUBEROSE SINGLE PLANT		1	NO					
63	TUBEROSE DOUBLE PLANT		1	NO					
64	LILLI		1	NO					
65	KHASS SUCKERS		1	KG					
66	AGAVE SUCKERS		1	NO					

67	JASMINE (MOGRA) PLANT		1	NO					
68	EUCALYPTUS PLANT		1	NO					
69	EUCALYPTUS PLANT		1	NO					
70	ELOVARA (GWARPATHA)		1	NO					
71	ELOVARA SUCKERS		1	NO					
72	KELAKAND SUCKERS		1	NO					
73	NAPIER GRASS (CERTIFIED)		1	NO					
74	NAPIER GRASS (TL)		1	NO					
75	COLEUS (CUTTING)		1	NO					
76	KALI HALDI		1	KG					
77	AAMI HALDI		1	KG					
78	SARPGANDHA PLANT		1	PLANT					
79	GUGGLE PLANT		1	PLANT					
80	SURAN (JIMIKAND) Bulub		1	KG					
81	KANEIR Plant		1	NO					
82	GLADILUS BULB Indian all Colur		1	Bulb					
83	GLADIOLUS BULB Imported all Colour		1	Bulb					
84	DUTCH ROSE BUDDER		1	Plant					
85	ROSE HYDRABADI LOCAL								
86	ROSE BUDDER GLADIARTOR PLANT		1	Plant					

Authority to submit Tender
(On Producer company's letter head)
(if applicable)

To,

The Managing Director
M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.
Panchanan Bhawan, 3rd Floor ,
Malviya Nagar,
Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer.

Dear Sir,

I.....Designation hereby authorize M/s
.....to submit Rate Contract Offer M.P. State
Agro Industries Corporation Ltd on behalf of the company due on 24-06-2024

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned
in Tender Document.

I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company.

If an order is placed with the authorized company as above, the company undertakes to supply the
order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name

Designation

Tel No

Mobile No

E mail

(In case offer is submitted by the proprietor , this certificate is not required. Proprietor is advised to declare
that he is proprietor of the firm and submitting Rate Contract Offer.)